ओ0पी0सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः–50/2018

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः सितम्बर 13,2018

विषयः–पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एवं पुलिस यातना की रोकथाम के संबंध में ।

प्रिय महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रि0 मिस रिट पिटीशन सं0–21233/2018 रेनू मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 21.08.2018 के द्वारा की गयी पृच्छा के परिप्रेक्ष्य में आहूत आख्या से प्रकट होता है कि पुलिस अभिरक्षा मृत्यु एवं यातना के संबंध में उ0प्र0 शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे मा0 न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिकाओं में प्रायः अत्यन्त दुरूह स्थिति का सामना करना पड़ता है तथा पुलिस की कर्त्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा का रूप भी विकृत होता है। प्रदेश सरकार एवं उ0प्र0 पुलिस मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति पूर्ण सजग एवं कृत संकल्प हैं। ऐसी घटनाओं की गंभीरता के दृष्टिगत दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय नियमों एवं वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही किये जाने के निर्देश पूर्व में शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा निर्गत किये गये है।

2. मानवाधिकार संरक्षण, पुलिस यातना एवं पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की घटनाओं की रोकथाम हेतु समय–समय पर उ0प्र0 शासन एवं इस मुख्यालय स्तर से इससे पूर्व भी पार्श्वकित शासनादेश/ परिपत्र/दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। इस सम्बन्ध में मेरे स्तर से भी परिपत्र सं0–10/2018 दिनांकित 17.03.2018 द्वारा विस्तार से आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

1. शासनादेश सं0–2186ख/छः–पु–4–17–1(12)बी/2015 दि0 01.08.2017
2. शासनादेश सं0–4544ख/छः–पु–4–2017–1(12)बी/2015 दि0 12.02.2018
3. शासनादेश सं0–जी0आई067/छ–पु–9–14 दिनांक 02.12.2014
4. शासनादेश सं0–एम–54/छ–मा0–1–14–3(395)/2014 दि0 20.06.2014
5. शासनादेश सं0–361पीआर/छः–मा0–1/06–44(विविध)/06दि0 24.08.2006
6. शासनादेश सं0–943/छ–पु–15–1997 दिनांक 30.04.1997
7. डीजी परिपत्र सं0–डीजी–माप्र–(1)2006 दिनांक 09.12.2014
8. डीजी परिपत्र सं0–डीजी–माप्र(निर्देश)2010 दिनांक 09.02.2010
9. डीजी परिपत्र सं0–40/2009 दिनांक 13.08.2009
10. डीजी परिपत्र सं0–डीजी–माप्र(1)2006 दिनांक 15.09.2006
11. डीजी परिपत्र सं0–1/2006 दिनांक 04.01.2006
12. डीजी परिपत्र सं0–7/97 दिनांक 29.03.1997
13. डीजी परिपत्र सं0–15/97 दिनांक 26.09.1997
14. डीजी परिपत्र सं0–79/2013 दिनांक 13.12.2013
15. डीजी परिपत्र सं0–23/2013 दिनांक 29.05.2013
16. डीजी परिपत्र सं0–18/2013 दिनांक 04.05.2013
17. डीजो परिपत्र सं0–105/2008 दिनांक 22.11.2008
18. डीजी परिपत्र सं0–93/2008 दिनांक 07.09.2008
19. डीजी परिपत्र सं0–डीजी–माप्र–10/05 दिनांक 09.05.2005
20. डीजी परिपत्र सं0–25/1992 दिनांक 06.04.1992

3. पुलिस अभिरक्षा मृत्यु के संबंध में दण्ड विधि (संशोधन) 2005 (2005 का अधिनियम सं0–25) द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 176 में उपधारा (1–ए) का समावेश करते हुये निम्नलिखित प्राविधान किया गया हैः–

(1–ए)–Where,-
(a) any person dies or disappears, or
(b) rape is alleged to have been committed on any woman,
while such person or woman is in the custody of the police or in any other custody authorised by the Magistrate or the Court, under this Code in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the Judicial Magistrate or the Metropolitan Magistrate, as the case may be, within whose local jurisdiction the offences has been committed.

Scanned by CamScanner

4. पुलिस अभिरक्षा मृत्यु के प्रकरणों में घटना के 02 माह के भीतर मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यायिक/मिजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट आदि भेजे जाने एवं पुलिस प्राधिकारियों को पोस्टमार्टम के तत्काल बाद शीघ्रता से अधिकतम 01 सप्ताह के भीतर बिसरा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के निर्देश उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एम–67 (1)/छः–मा0–1–09–38(विविध)/09 दिनांक 19.01.2010 एवं मुख्यालय के पत्र सं0–डीजी–माप्र (निर्देश)2010 दिनांक 09.02.2010 द्वारा निर्गत किये गये है।

5. पुलिस मुठभेड अथवा पुलिस अभिरक्षा के मृत्यु के प्रकरणों में त्रैमासिक सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराये जाने हेतु इस मुख्यालय के परिपत्र सं0–डीजी–माप्र–(1)/2006 दिनांक 15.09. 2006 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है, जिसका समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

6. मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आप उ0प्र0 शासन एवं इस मुख्यालय से निर्गत संदर्भित निर्देशों का गहनतापूर्वक परिशीलन कर लें तथा अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत कराते हुये सचेत कर दे कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में यदि किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या शिथिलता पायी जायेगी तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

13.9.18

(ओ0पी0सिंह)

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन/रेलवे
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद/रेलवे
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner